



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227765
CG-DL-E-22062021-227765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2271]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943

No. 2271]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2021

का.आ. 2449 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि नियम, 1945 के नियम 44 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2808(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2012 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, मद संख्यांक (v) और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियाँ के पश्चात्, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

“ (vi) श्रीमती स्वाती परिख, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;

(vii) डॉ. अनन्तरामा नायका, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;

(viii) श्री अरुण नगरकर, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;

(ix) श्री श्रवणकुमार सिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;

- (x) श्रीमती अदिति बांद्रे, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;
- (xi) श्रीमती स्मिता जॉर्ज चित्तिलापिल्ली, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;
- (xii) श्रीमती अनिदिता एस. नंदी, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;
- (xiii) श्रीमती हर्षदा तळपदातुर, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;
- (xiv) श्रीमती प्रियंका राजेन्द्र कोरी, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;
- (xv) श्री आशीष डब्लू. येनकर, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;
- (xvi) श्री अमोल आकाश, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;
- (xvii) श्री अशोक कुमार, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ;
- (xviii) श्री जगदीश एस. चौधरी, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ; और
- (xix) श्री हेमंत पी. मगर, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ।”।

[फा.सं. एक्स.11014/5/2021-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 2808(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1521(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2021

S.O. 2449(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs Rules, 1945, the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number S.O. 2808(E), dated 30th November, 2012, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, namely:—

In the said notification, after item number (v) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

- “(vi) Smt. Swati S. Parikh, Junior Scientific Assistant;
- (vii) Dr. Anantharama G Nayaka, Junior Scientific Assistant;
- (viii) Shri Arun K. Nagarkar, Junior Scientific Assistant;
- (ix) Shri Shrawan Kumar Singh, Junior Scientific Assistant;
- (x) Smt. Aditi Vinod Bandre, Junior Scientific Assistant;
- (xi) Smt. Smita George Chittilappilly, Junior Scientific Assistant;
- (xii) Smt. Anindita S. Nandi, Junior Scientific Assistant;
- (xiii) Smt. Harshada H. Talapadatur, Junior Scientific Assistant;
- (xiv) Smt. Priyanka Rajendra Kori, Junior Scientific Assistant;

-
- | | |
|---------|---|
| (xv) | Shri Ashish W. Yenkar, Junior Scientific Assistant; |
| (xvi) | Shri Amol Akash, Junior Scientific Assistant; |
| (xvii) | Shri Ashok Kumar, Junior Scientific Assistant; |
| (xviii) | Shri Jagdish S. Chaudhari, Junior Scientific Assistant; and |
| (xix) | Shri Hemant P. Magar, Junior Scientific Assistant. ”. |

[F.No. X.11014/5/2021-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2808(E), dated the 30th November, 2012 and lastly amended *vide* notification number S.O. 1521(E), dated the 8th April, 2021.